न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 24/17 तारीख रजू :– 01.06.17

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

चरण पुत्र गुजरमल जाति गुर्जर निवासी बाढ कैमरी तहसील नादौती जिला करौली।

..... सायल

बनाम

1. समयसिंह पुत्र रामचरण
2. फतेहसिंह पुत्र रामचरण
3. रमेश पुत्र रामचरण
4. कप्तान पुत्र समयसिंह

जातियान् गुर्जर निवासीयान ग्राम बाढ कैमरी तहसील नादौती जिला करौली।

..... गैरसायलान्

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 22.11.2017

सूक्ष्म विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 254 रकवा 1.29 हैक्ट0, 437 रकवा 0.22 हैक्ट0, 445 रकवा 0.40 हैक्ट0, 497 रकवा 0.45 हैक्ट0, 514 रकवा 0.39 हैक्ट0, 515 रकवा 0.21 हैक्ट0, 516 रकवा 0.14 हैक्ट0, 530 रकवा 0.46 हैक्ट0, 574 रकवा 0.18 हैक्ट0, 636 रकवा 0.37 हैक्ट0, 637 रकवा 0.34 हैक्ट0, , 637 रकवा 0.34 हैक्ट0, 638 रकवा 0.43 हैक्ट0, 640 रकवा 0.39 हैक्ट0, 641 रकवा 0.37 हैक्ट0, कुल किता 14 कुल रकवा 5.64 हैक्टर वाकेतन ग्राम बाढ कैमरी तहत तहसील नादौती

वदन पुत्र छीतर हिस्सा 1/2, चरण पुत्र गुजरमल हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी बाढ कैमरी के नाम से जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में खातेदारी में दर्ज है। सहखातेदार बदन पुत्र छीतर का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान में वर्णित प्रतिवादी सं0 5 ता 9 है। उक्त आराजीयात का आपसी सहमति से करोब 10–12 साल पूर्व सायल व दावे में वर्णित प्रतिवादी सं0 5 ता 9 के मध्य विभाजन हो चुका है। व आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुसार ही मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है।

सायल व प्रतिवादी सं0 5 ता 9 आपसी समझौते के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 437 रकवा 0.22 हैक्टर वाकेतन ग्राम बाढ कैमरी सायल के हिस्से में आई भूमि है, जिस पर समस्त रकवे पर सायल ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। व अब भी मौके पर काबिज है।

दिनांक 15.05.2017 को सायल भूमि खसरा नम्बर 437 रकवा 0.22 हैक्टर वाकेतन ग्राम बाढ कैमरी पर ट्रैक्टर ड्राईवर कप्तान पुत्र कैलाबक्स गूर्जर से जोत लगवा रहा था, खेत की तीन चौथाई भूमि पर जोत लग जाने के उपरान्त दावे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 समयसिंह, फतेहसिंह, रमेश पिसरान रामचरण व कप्तान पुत्र समयसिंह गुर्जर निवासी बाढ कैमरी हाथों में लाठी ले लेकर खेत पर आ गये, और जान से खत्म करने की धमकी दी, सायल ने काफी समझाईश की, लेकिन वह नहीं माने और जाते जाते कहने लगे कि इस भूमि पर हम ही लठ्ठ के बल पर काश्त करेगें, अगर तुमने इस भूमि पर काश्त भी कर ली तो हम मवेशियों से बर्वाद करवा

निरन्तर–3–पर

देगें। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने सायल को खसरा नम्बर 437 रकवा 0.22 हैक्ट0 पर काश्त नहीं करने दिया तो सायल अपने अधिकारों से वंचित हो जावेगा बर्वाद हो जावेगा।

दावे में वर्णित प्रतिवादी सं0 5 ता 9 रिकार्डेड सहखातेदार है। दावे में वर्णित प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के भय के कारण सायल के साथ टी0आई में पक्षकार बनने को तैयार नहीं है। इस कारण टी0आई0 में गैरसायलान पक्षकार बनाए गये है। दावे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 के विरूद्ध सायल दावे में कोई रिलीफ नहीं चाहता है। प्राईमा फेसी केस सायल का बखूबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। अगर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमा दिया गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति द्रव्य में भी संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे ता फैसला दावा भूमि खसरा नम्बर 437 रकवा 0.22 हैक्टर वाकेतन ग्राम बाढ कैमरी तहत तहसील नादौती में सायल के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे और ना ही दीगर व्यक्तियों से बाधा उत्पन्न करावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कि जाकर गैरसायलान को वास्ते पेश करने जवाब नोटिस जारी किया गया। नोटिस वाद तामिल शामिल मिसल किया गया।

गैरसायल सं0 1 लगायत 4 की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया, गैरसायल सं0 1 लगायत 4 द्वारा अपने जवाब में अवगत कराया कि विवादित भूमि सायल एवं अन्य सह खातेदारों के नाम होना स्वीकार है। लेकिन वाकिया इवारत गलत है। स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि में से सायल चरण उर्फ हरिचरण ने गैरसायल सं0 1 लगायत 3 के पिता रामचरण गुर्जर को संवत् 2040 में 6001/– रूपयें में विक्रय कर 1 बीघा भूमि पर कब्जा करवा दिया। जिस एक बीघा भूमि पर कब्जा करवाया था उसकी सीमा निम्नप्रकार से अंकित किया है। पूर्व दिशा की तरफ घूडा, पश्चिम दिशा की तरफ मेड श्रीफल की, उत्तर दिशा की तरफ स्वंय की 1/2 हिस्सें की भूमि, दक्षिण दिशा की तरफ मेड रामजीलाल की स्थित है। उक्त सीमाओं के बीच की भूमि 1 बीघा हरिचरण उर्फ चरण ने गैरसायल संख्या 1 लगायत 3 को विकय कर कब्जा संभला दिया। तभी से उक्त भूमि पर गैरसायल सं0 1 लगायत 3 व 4 का कब्जा चला आ रहा है। सायल द्वारा जो 1 बीघा भूमि विकय की थी वह खसरा नं0 437 है। उक्त भूमि खसरा नं0 437 पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। खसरा नं0 437 भूमि पर गैरसायल सं0 1 लगायत 3 के पिता रामचरण व उनके पुत्रान् व पौता गैरसायल सं0 1 लगायत 4 का कब्जा चला आ रहा है। तथा बिना कब्जे के प्रार्थना पत्र टी.आई. चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है। संवत् 2042 से ही गैरसायलान 1 लगायत 3 के पिता रामचरण व उनके पुत्रान व पौता गैरसायलान सं0 1 लगायत 4 का कब्जा चला आ रहा है। तथा आज भी कब्जा गैरसायल सं0 1 लगायत 4 का चला आ रहा है। खसरा नं0 437 का मौके पर पृथक से खेत बना हुआ है। जिसमें इस साल गैरसायलान संख्या 1 लगायत 4 ने जोत लगा रखी है।

सायल का उक्त 1 बीघा भूमि पर कब्जा नहीं है। सायल को स्वंय को बेदखली का दावा पेश करना चाहिए था। सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में नही हो कर गैरसायलान जबावदारान के पक्ष में है। सायल जबरन टी. आई. की आड में गैरसायलान की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज होने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश जबाव प्रार्थना पत्र का जबाबुल जबाव प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सायल ने अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के पिता रामचरण को संवत् 2042 मे बिल एवज 6001/-रूपये में विक्रय कर दी और गैरसायलान का उक्त भूमि ख0नं0 437 रकवा 1 बीघा पर कब्जा करा दिया। सही हालात इस प्रकार है कि विवादित भूमि ख0नं0 437 वाकेतन ग्राम बाढ कैमरी सायल व अन्य सहखातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज है। सायल ने उक्त आराजी को गैरसायलान के पिता के हक में कभी भी बेचान नहीं किया और न ही विक्रय पत्र की किसी लिखावट पर अपने हस्ताक्षर किये। गैरसायलान से भूमि विक्रय राशि 6001/- रूपयें कभी भी प्राप्त नहीं की। गैरसायलान द्वारा कथित उक्त दस्तावेज फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। जो गवाहान से साज करके झूंठा दस्तावेज तैयार किया है। जिस पर सायल की फर्जी निशानी या दस्तखत बनाये गये है। गैरसायलान द्वारा इकरारनामा विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है, वह अनरजिस्टर्ड अनस्टाम्पड दस्तावेज है। गैरसायलान उक्त आराजी का बेचान संवत 2042 में होना बताते है।

जिसको करीब 32 वर्ष का समय हो गया है, अब तक गैरसायलान ने उक्त दस्तावेज के आधार पर सिविल न्यायालय में स्वेसिक पर पोरमेन्स का दावा क्यों नही किया, इस सम्बन्ध में गैरसायलान ने अपने जबाव में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। विवादित भूमि पर गैरसायलान का कब्जा काश्त न होकर सायल का सदैव से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस वर्ष भी सायलान द्वारा ही उक्त पर काश्त करने हेतु जोत लगवायी है। सायल गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है। विवादित भूमि सायल के कब्जेकाश्त की भूमि है, गैरसायलान का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। गैरसायलान कूटरचित फर्जी दस्तावेज की आड में सायल को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसी कारण गलत तथ्यों के साथ अपना जबाव पेश किया है। सायल ने अपना प्रार्थना पत्र सही तथ्यों के साथ पेश किया है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र का जबावुल जबाव पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे भूमि ख0नं0 437 वाकैतन ग्राम बाढ़ कैमरी सायल के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

दौराने बहस प्रार्थनापत्र व उसके जबाव में अंकित अभिवचनों की पक्षकारों द्वारा सारतः मूलतः पूनरावृति की गई,पत्रावली का अवलोकन किया गया, दौराने बहस प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, तथा सुसंगत विधि को भी देखा गया। जबकि प्रार्थनापत्र आदेशात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा का है।

जिसके निस्तारण के लिए न्यायालय को मूलतः तीन बिन्दूओं का निर्धारण करना होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति। उक्त समस्त बिन्दूओं पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति सायलान के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान् विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 212 आर.टी.ए सायलान विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार की जाती है। अतः गैरसायलान 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि सायलान की खातेदारी की भूमि ख0नं0 437 रकवा 0.22 हैक्ट0 वाकेतन ग्राम बाढ कैमरी के उपयोग–उपभोग में गैरसायलान किसी भी प्रकार की बाधा सायलान को उत्पन्न नहीं करें तथा उक्त भूमि को रहन वय नहीं करें एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती जिला करौली

निरन्तर–8–पर